

1693

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. NO. 137 OF 2024  
IN  
ORIGINAL APPLICATION NO. 584 OF 2022

**IN THE MATTER OF:**

DURGA PRASAD YADAV & ORS.

...APPLICANT

VERSUS


STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENT(s)

**INDEX**

| S. NO. | PARTICULARS   | PAGE NO. |
|--------|---|----------|
| 1.     | AFFIDAVIT ON BEHALF OF ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, CIVIL AVIATION DEPARTMENT, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 07.03.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI |          |
| 2.     | A COPY OF THE COMPLIANCE REPORT SUBMITTED IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-1  |          |
| 3.     | A COPY OF THE LETTER DATED 31.03.2023 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-2  |          |
| 4.     | A COPY OF LETTER DATED 19.04.2024 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-3  |          |
| 5.     | A COPY OF LETTER DATED 30.09.2024 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-4  |          |
| 6.     | A COPY OF LETTER DATED 16.10.2024 AND 06.03.2025 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-5   |          |

**THROUGH COUNSEL**



BHANWAR PAL SINGH JADON  
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P. (NGT)

EMAIL- [bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com)

PHONE NO.- 6375115224

**DATE: 07.04.2025**


**PLACE: LUCKNOW**

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. NO. 137 OF 2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 584 OF 2022



IN THE MATTER OF:

DURGA PRASAD YADAV & ORS.

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENT(s)

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, CIVIL AVIATION DEPARTMENT, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 07.03.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI**

I Shashi Prakash Goyal, aged about 58 years, S/o Shri J.P. Goyal posted as Additional Chief Secretary, Civil Aviation Department, State of Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. I Shashi Prakash Goyal, Additional Chief Secretary, Civil Aviation Department, State of Uttar Pradesh, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. That the present matter pertains to the grievances raised in the application about obstruction to flow of river Trilodki known as Trilodki Ganga and also discharge of polluted water by M/s Amrit Bottlers Pvt. Ltd. (Cocacola) Dabhar Semar, Chandpur Harbans, Allahabad Road, Ayodhya.
3. The Hon'ble Tribunal vide order dated 07.03.2025 issued the direction to the Deponent to file a detailed compliance report. The relevant paragraph of the order is stated below:

“...5. This Tribunal considered the reports on 17.12.2024 and found the same to be vague without supporting documents and to fall short of requisite compliance. Accordingly, this Tribunal without enlisting



5.7/4/2025

*the deficiencies directed respondents no. 1, 2, 4 and 5 to file their detailed compliance reports.*

*6. XXXX*

*7. However, no report has been filed by respondent no. 2- ACS, Civil Aviation Department, U.P. despite direction issued in this regard. Noncompliance of order dated 17.12.2024 by ACS, Civil Aviation Department, U.P. warrants imposition of costs for unnecessary adjournment thereby caused. Accordingly, ACS, Civil Aviation Department, U.P. is granted one more opportunity to file its response within one month subject to deposit of costs of Rs. 25,000/- with NGT Bar Association, Principal Bench within three weeks and to ensure his representation before this Tribunal on the next date of hearing fixed..."*

4. That the Deponent most respectfully submits before the Hon'ble Tribunal that, in compliance with the order dated 17.12.2024, the Deponent has duly submitted its compliance report/response through email dated 05.02.2025 and by speed post dated 10.02.2025, thereby apprising the Hon'ble Tribunal of the actions undertaken by the Deponent in pursuance of the directions issued by the Hon'ble Tribunal in O.A. No. 584/2022, as per the judgment dated 22.12.2023.

A copy of the compliance report submitted is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

5. That for the construction of a drainage system for the proper drainage of water of the under-construction Maharshi Valmiki International Airport, Ayodhya Dham, proposal dated 10.01.2023 for the grant of administrative and financial approval for the estimated cost of Rs. 5441.06 lakh was received from the District Magistrate, Ayodhya.

6. That in reference to the aforementioned proposal dated 30.03.2023, the Director, Civil Aviation, Government of Uttar Pradesh, vide approval dated 31.03.2023, granted administrative and financial sanction for the construction of a storm water drainage system to manage the rainwater from the under-construction airport, the adjoining villages, and the discharge from M/s Amrit Bottlers Pvt. Ltd. (Coca-Cola). The project has been approved at an estimated



*[Handwritten signature and initials]*


cost of Rs. 5441.06 lakh (Rupees Fifty-Four Crore Forty-One Lakh Six Thousand Only), subject to compliance with the terms and conditions prescribed to the District Administration.

A copy of the letter dated 31.03.2023 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**

7. That pursuant to the financial sanction granted vide letter dated 31.03.2023, an amount of Rs. 1396.89 lakh (Rupees Thirteen Crore Ninety-Six Lakh Eighty-Nine Thousand Only) was released as the first installment during the financial year 2022–2023 and placed at the disposal of the District Magistrate, Ayodhya, against the total approved cost of the project for the construction of the drainage system.
8. That, in order to ensure the uninterrupted progress of the drainage system construction, and pursuant to the request made by the Deponent, a second installment amounting to Rs. 1,323.64 lakh (Rupees Thirteen Crore Twenty-Three Lakh Sixty-Four Thousand Only) was sanctioned and duly released to the District Magistrate, Ayodhya, vide communication dated 19.04.2024, Ayodhya, pursuant to the terms and conditions prescribed vide letter dated 31.03.2023.

A copy of letter dated 19.04.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3.**

- 
9. That subsequently, a third instalment amounting to Rs. 1,360.265 lakh (Rupees Thirteen Crore Sixty Lakh Twenty-Six Thousand Five Hundred Only) was approved on 30.09.2024 for the financial year 2024–2025 and was promptly made available to the District Magistrate, Ayodhya, for continued execution of the drainage system construction.



A copy of letter dated 30.09.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4.**

10. That it is submitted that following the sanction and disbursement of funds for the construction of the drainage system to the District Magistrate, Ayodhya, the Deponent, vide letter dated 16.10.2024, directed the said authority to

undertake a thorough and detailed inspection of the ongoing construction works, in coordination with a team of Engineers. Furthermore, the Deponent, vide letter dated 06.03.2025, sought report on the current status of the construction of the drainage system being carried out for the Maharishi Valmiki International Airport, Ayodhya Dham from the District Magistrate, Ayodhya, as directed vide letter dated 16.10.2024.

A copy of letter dated 16.10.2024 and 06.03.2025 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-5.

11. That the Deponent has duly obtained the financial approval for the construction of drain and the same has been allotted to the District Magistrate, Ayodhya to carry out the said construction, as required. It is further submitted that the Deponent has been consistently monitoring the progress of the construction and taking necessary steps to ensure timely compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal.

12. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

13. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.



*Justified*  
07/04/2025

*[Signature]*  
DEPONENT

1-IDENTIFY THE DEPONENT  
WHO HAS SIGNED BEFORE ME

VERIFICATION

जितेन्द्र कुमार  
समीक्षा अधिकारी  
नागरिक उड्डयन अनुभाग  
उत्तर प्रदेश शासन

Verified at Lucknow on this 07 day of April, 2025,  
that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 13 are believed  
to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is  
false and nothing material has been concealed therefrom.

कूप 0028829  
हारा शपथ को मैं, शशि प्रकाश जोषा, अपर मुख्य सचिव  
जिनका परिचय श्री जितेन्द्र कुमार, RO  
दिनांक 07.04.25 समय 12.30 p.m.  
वाद संख्या 137/2024  
पक्षका दुर्गा प्रसाद यादव वगैरे उ० प्र० राज्य  
व मा० राष्ट्रीय ट्रिनिटी न्यायाधिकरण, नई दिल्ली

*[Signature]*  
DEPONENT  
*[Signature]*  
07.04.25  
चन्द्रजीत यादव  
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी  
न्याय अनुभाग-उत्तर प्रदेश  
उ०प्र० शासन।

संख्या: 199 /छप्पन-2025

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,  
माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,  
प्रधान पीठ,  
फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग,  
नई दिल्ली-110001.

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2025


विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 584/2022  
Durga Prasad Yadav & Ors. Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित  
आदेश दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 का अनुपालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या-02 (अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन) के Response/Compliance report को संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,



(अभिनव कुमार चौरसिया)  
अनु सचिव

**Compliance report of the order dated 17.12.2024 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in M.A. No. 137/2024 in O.A. No. 584/2022 Durga Prasad Yadav vs State of Uttar Pradesh and Others.**

Regarding the above mentioned matter, orders have been passed by Hon'ble NGT, New Delhi on 17.12.2024 in M.A. No.- 137/2024 in O.A. No.- 584/2022 In Durga Prasad Yadav vs. State of Uttar Pradesh and others. The principal parts of the order are as follows—

.....3. Reports have been filed by UPPCB and respondent no.5 vide email dated 21.03.2024. However, no Reports have been filed by Uttar Pradesh Ground Water Department and Divisional Forest Officer, Ayodhya before this Tribunal. On the other hand copies of letters received from them by UPPCB have been attached by UPPCB with its report.

4. We have gone through the reports filed by UPPCB and respondent no.5 and we find the reports to be vague without supporting documents and the same fall short of requisite compliance with the orders passed by this Tribunal. We do not consider it necessary to enlist the deficiencies in the reports at this stage as we consider further hearing to be necessary for ensuring requisite compliance with the orders passed by this Tribunal. It may also be added here that this Tribunal had also given directions for taking of requisite remedial measures for demarcation and rehabilitation/rejuvenation of River Trilodki Ganga on the basis of the documents available and to notify the same for its protection/conservation. Further, this Tribunal had also given direction for completion of the drain and taking of remedial measures for ensuring that flow of water in drain remains smooth and there is no water logging in the adjoining land due to flow in the drain and discharge from M/s. Amrit Bottlers Pvt. Ltd. No reports have been filed in this regard. Accordingly, issuance of notices to the respondents is ordered for requisite further hearing for ensuring due compliance with the orders passed by this Tribunal.

6. The Registry is directed to issue notices to respondents no. 1-State of Uttar Pradesh, respondent no. 2-ACS, Civil Department, respondent no.4-District Magistrate, Ayodhya and respondent no. 5-M/s. Amrit Bottlers Pvt. Ltd. requiring them file their detailed compliance reports /responses with all requisite details and supporting documents at least one week before the next date of hearing.

7. List on 07.02.2025 for further hearing.

".....2. The above said O.A. was disposed of vide order dated 22.12.2023. The relevant part of the Judgment reads as under:

**"Directions by the Tribunal.**

.....Hon'ble NGT has also added their directions that for taking of remedial measures for demarcation and rehabilitation/rejuvenation of River Trilodki Ganga on the basis of the documents available and to notify the same for its protection and conservation.

Hon'ble NGT has also directed for completion of the drain and taking of remedial measures for ensuring the flow of water in drain remains smooth and there is no water logging in the adjoining land due to flow in the drain and discharge from Amit Bottlers Pvt. Ltd.....

In compliance of direction issued by Hon'ble NGT for completion of the drain and taking of remedial measures for ensuring that flow of water in drain remains smooth and there is no water logging in the adjoining land, it is submitted that a status report regarding status is called from District Magistrate Ayodhya (Annexure No.-1). District Magistrate Ayodhya in his report dated 01.02.2025 informed that in the revenue records of District Ayodhya, there exists no record of any river by the name of *Trilodki Ganga*. That archival research and field investigations have established that a drain flows through the district which, in various villages, is known by different names—referred to as *Baha* or *Nali* in some, as *Soti* in others, and as *Tilai Nala* in yet other localities; furthermore, in certain villages, the drain is associated with lands recorded as *Aabadi* or held by transferable landholders. Copy of the Letter No. 146/Ra.Ni.(Karya)/NGT-Akhya/2023 dated 02.03.2023, issued by the Tahsildar Sadar, Ayodhya, and Joint Magistrate/SDM Sadar, Ayodhya is enclosed herewith as. **Annexure No.-2.**

Due to the expansion of the airport, the natural drainage patterns in the surrounding areas have been adversely affected, thereby necessitating the construction of an alternative drain to ensure proper drainage. That as per the latest status report, approximately 90% of the construction work for this alternative drainage system has been completed, with the remaining work progressing in coordination with the concerned authorities.

Regarding completion of the construction work of the drain, it is to be informed that the Executive Engineer, Irrigation Division, Ayodhya has informed through the attached report of his letter number- 242/Si.Kh.Ayo./Airport dated 30.01.2025 that an RCC drain is being constructed by the Irrigation Division, Ayodhya for the

drainage of the airport on 5.00 meter wide land given by the airport. After allocation of funds for the drainage of the airport, **about 90 percent of the work of drain construction has been completed, the remaining 10 percent work is being completed by establishing coordination with the concerned departments.** It is also mentioned in the report that due to the ongoing project, no problem of water logging has arisen in the alignment of the drain/ inside the airport during the rainy season. A copy of the said letter dated 30.01.2025 of the Irrigation Division, Ayodhya is annexed as Annexure No.-3.

The Compliance report is being submitted for information and further necessary action, please.

  
(S.P. Goyal)  
Additional Chief Secretary

## ANNEXURE-2

संख्या: 49/2023/456/छप्पन-2023-11/2013(Drain)टी.सी.-ए

प्रेषक,  
आनन्द कौशिक,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
नागरिक उड्डयन,  
उ०प्र०, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2023

विषय: जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: 333/आर०सी०एस०-2023-ए-3/2018 दिनांक 30 मार्च, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण की आंकलित लागत 5441.06 लाख (रूपए चौवन करोड़ इक्तालीस लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा बजट में उपलब्ध धनराशि के अनुसार रू० 1396.89 लाख (रूपए तेरह करोड़ छियान्ने लाख नवासी हजार मात्र) के व्यय की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन हेतु जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या 1906/वि०भू०अ०अधि०/ श्रीराम एयरपोर्ट-2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या की 02 परियोजनाओं के गठित समेकित आगणन लागत रू० 5587.55 लाख (रूपए पचपन करोड़ सत्तासी लाख पचपन हजार मात्र) को व्यय वित्त समिति द्वारा रू० 5441.06 लाख (रूपए चौवन करोड़ इक्तालीस लाख छः हजार मात्र) की लागत पर कतिपय निर्देश देते हुए अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(लागत रूपए लाख में)

| क्र०सं०               | परियोजना का नाम  | प्रस्तावित लागत | अनुमोदित लागत  |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|
| अ                     | जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण की परियोजना।    | 4763.51         | 4646.40        |
| ब                     | निर्माणाधीन अयोध्या एयरपोर्ट के आइसोलेशन बे के उत्तरी छोर पर जल निकासी हेतु तिलैया ड्रेन के मध्य लिंक ड्रेन के निर्माण का कार्य। | 824.04          | 794.66         |
| <b>कुल लागत (अ+ब)</b> |  | <b>5587.55</b>  | <b>5441.06</b> |

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण की आंकलित लागत 5441.06 लाख (रूपए चौवन करोड़ इकतालीस लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इस धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू० 1396.89 लाख (रूपए तेरह करोड़ छियानवे लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(लागत रूपए लाख में)

| क्र० सं०              | परियोजना का नाम  | प्रस्तावित लागत | अनुमोदित लागत  | अवमुक्त धनराशि |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| अ                     | जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट के जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण की परियोजना।    | 4763.51         | 4646.40        | 1190.88        |
| ब                     | निर्माणाधीन अयोध्या एअरपोर्ट के आइसोलेशन बे के उत्तरी छोर पर जल निकासी हेतु तिलैया ड्रेन के मध्य लिंक ड्रेन के निर्माण का कार्य। | 824.04          | 794.66         | 206.01         |
| <b>कुल लागत (अ+ब)</b> |  | <b>5587.55</b>  | <b>5441.06</b> | <b>1396.89</b> |

**शर्तें/प्रतिबन्ध**

- (1) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या/कार्यदायी संस्था- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व प्रायोजना में प्रस्तावित ड्रेन की ड्राइंग व डिजाइन आई०आई०टी०/हाईड्रोलॉजी संस्था से वेटेड करा लिया जाए तथा इसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) एक ही कार्यमदों की दरें भिन्न-भिन्न होने के दृष्टिगत नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग तथा मुख्य अभियन्ता, जल निगम की एक कमेटी का गठन करते हुए स्वयं आश्वस्त होने के पश्चात् जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।
- (3) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।
- (4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप जिलाधिकारी, अयोध्या/कार्यदायी संस्था- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या/कार्यदायी संस्था- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
- (6) प्रायोजना के निर्माण के उपरान्त नालों के मेन्टीनेन्स/रख-रखाव के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा सुनियोजित कार्ययोजना नियमानुसार तैयार कराई जाएगी।
- (7) प्रायोजना प्रस्ताव में यूटिलिटी शिफ्टिंग (वन विभाग) का विस्तृत आगणन उपलब्ध न होने के कारण एकमुश्त रू0 112.00 लाख अनुमन्य किया गया है। अतः निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व उक्त का विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।
- (8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र लागत परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/जिलाधिकारी, अयोध्या/निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।
- (9) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति ( डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (11) निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अपने खाते में जमा करने पर यदि ब्याज अर्जित किया जाएगा तो उसे राजकीय कोष में जमा कराने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी, अयोध्या का होगा।
- (12) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
- (13) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (14) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।
- (15) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।
- (16) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (17) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेशों के किसी नियम का उल्लंघन न हो। वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- (18) निदेशक, नागरिक उड्डयन/ जिलाधिकारी, अयोध्या एवं कार्यदायी संस्था- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vi) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (19) व्यय की गई धनराशि का विवरण प्रत्येक माह के अन्तिम तिथि की गणना के आधार पर आगामी माह की 07 तारीख तक निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1396.89 लाख (रूपए तेरह करोड़ छियान्ने लाख नवासी हजार मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी जायेगी।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-38 के पूंजी लेखा लेखाशीर्ष "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-24-वृहत् निर्माण कार्य" से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7- 587/दस-2022-23, दिनांक 31 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,  
आनन्द कौशिक  
अनु सचिव

5/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 49/2023/456(1)/छप्पन-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- उप महालेखाकार/ई०एस०-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
- 3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
- 5- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/जल निगम, उ०प्र०।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/अयोध्या।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2.
- 9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
आनन्द कौशिक  
अनु सचिव

संख्या: 45/2024/546/छप्पन-2024-11/2013(Drain)टी.सी.-ए

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नागरिक उड्डयन, उ०प्र०,  
लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 19 अप्रैल, 2024

विषय: जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम (पूर्व नाम- मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-08/आर०सी०एस०-2024-ए-3/2018 दिनांक 09 अप्रैल, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम (पूर्व नाम- मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण में द्वितीय किश्त के रूप में परियोजना की स्वीकृत लागत रू० 5441.06 लाख की 25% धनराशि रू० 1360.265 लाख (रूपए तेरह करोड़ साठ लाख छब्बीस हजार पाँच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन हेतु प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या 49/2023/456/छप्पन-2023-11/2013(Drain)टी.सी.-ए दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम (पूर्व नाम- मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण की आंकलित लागत रू० 5441.06 लाख (रूपए चौवन करोड़ इकतालीस लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इस धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू० 1396.89 लाख (रूपए तेरह करोड़ छियान्नेवे लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि कतिपय शर्तों के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम (पूर्व नाम- मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण कार्य की शासनादेश संख्या 49/2023/456/छप्पन-2023-11/2013(Drain)टी.सी.-ए दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति लागत रू० 5441.06 लाख (रूपए चौवन करोड़ इकतालीस लाख छः हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु, द्वितीय किश्त के रूप में कुल लागत के सापेक्ष लगभग 25 प्रतिशत धनराशि रू० 1323.64 लाख (रूपए तेरह करोड़ तेईस लाख चौसठ हजार मात्र) का धनाबंटन जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

### शर्तें/प्रतिबन्ध

- (1) आवंटित की जा रही धनराशि में से, प्रश्रुगत परियोजना में निहित दोनों स्वीकृत कार्यों की पृथक-पृथक लागत के सापेक्ष लगभग 25 प्रतिशत धनराशि व्यय की जाएगी।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2) शासनादेश संख्या 49/2023/456/छप्पन-2023-11/2013(Drain)टी.सी.-ए दिनांक 31 मार्च, 2023 के सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

- 4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1323.64 लाख (रूपए तेरह करोड़ तेईस लाख चौंसठ हजार मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी जायेगी।
- 5- उक्त व्यय को वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-38 के पूंजी लेखा लेखाशीर्ष "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।
- 6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2024/बी-1-294/दस-2024-2031/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित व्यवस्था के क्रम में निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,  
आनन्द कौशिक  
अनु सचिव।

संख्या- 45/2024/546(1)/छप्पन-2024, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
- 3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
- 5- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/जल निगम, उ0प्र0।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/अयोध्या।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2.
- 9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
आनन्द कौशिक  
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## ANNEXURE-4

संख्या: 87/2024/1538/छप्पन-2024-11/2013(Drain)टी.सी.-ए

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नागरिक उड्डयन, उ०प्र०,  
लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर, 2024

विषय: जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम (पूर्व नाम- मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण में तृतीय किशत की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-176/आर०सी०एस०-2024-ए-3/2018 दिनांक 23 सितम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्रांक 2344/एअरपोर्ट/2023-24 दिनांक 29 अगस्त, 2024 के क्रम में जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम (पूर्व नाम- मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण हेतु तृतीय किशत के रूप में परियोजना की स्वीकृत लागत रू० 5441.06 लाख की 25% धनराशि रू० 1360.265 लाख (रूपए तेरह करोड़ साठ लाख छब्बीस हजार पाँच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन हेतु प्रदान करने तथा बजट एलाटमेन्ट सिस्टम के माध्यम से बजट भी आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-49/2023/456/छप्पन-2023-11/2013(Drain)टी.सी.-ए दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम (पूर्व नाम- मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण की आंकलित लागत रू० 5441.06 लाख (रूपए चौवन करोड़ इकतालीस लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इस धनराशि के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में रू० 1396.89 लाख (रूपए तेरह करोड़ छियान्ने लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि एवं शासनादेश संख्या-45/2024/546/छप्पन-2024-11/2013(Drain)टी.सी.-ए दिनांक 19 अप्रैल, 2024 द्वारा द्वितीय किशत के रूप में रू० 1323.64 लाख की धनराशि कतिपय शर्तों के अधीन जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम (पूर्व नाम- मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण कार्य की शासनादेश संख्या 49/2023/456/छप्पन-2023-11/2013(Drain) टी.सी.-ए दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति लागत रू० 5441.06 लाख (रूपए चौवन करोड़ इकतालीस लाख छः हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु, तृतीय किशत के रूप में कुल लागत के सापेक्ष 25% की धनराशि रू० 1360.265 लाख (रूपए तेरह करोड़ साठ लाख छब्बीस हजार पाँच सौ मात्र) का धनाबंटन जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**शर्तें/प्रतिबन्ध**

- (1) आवंटित की जा रही धनराशि में से, प्रश्रुत परियोजना में निहित दोनों स्वीकृत कार्यों की पृथक- पृथक लागत के सापेक्ष लगभग 25 प्रतिशत धनराशि व्यय की जाएगी।
- (2) शासनादेश संख्या 49/2023/456/छप्पन-2023-11/2013(Drain)टी.सी.-ए दिनांक 31 मार्च, 2023 के सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
- 4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1360.265 लाख (रूपए तेरह करोड़ साठ लाख छब्बीस हजार पाँच सौ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी जायेगी।
- 5- उक्त व्यय को वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-38 के पूंजी लेखा लेखाशीर्ष "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।
- 6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2024/बी-1-294/दस-2024-2031/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित व्यवस्था के क्रम में निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,  
अभिनव कुमार चौरसिया  
अनु सचिव।

**संख्या-87/2024/1538(1)/छप्पन-2024, तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- उप महालेखाकार/ई0एस0-111, ऑडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
- 3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
- 5- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/जल निगम, उ0प्र0।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/अयोध्या।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2.
- 9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
अभिनव कुमार चौरसिया  
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## ANNEXURE-5

संख्या: 342/छप्पन-2024-11/2013(ड्रेन)

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
अयोध्या।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 06 मार्च, 2025

विषय: जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम (पूर्व नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1652/छप्पन-2024-11/2013(ड्रेन) दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम (पूर्व नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण कार्य का एक Engineers की Team के साथ वृहद व Detailed Inspection करने हेतु निर्देशित किया गया था।

2- शासनादेश संख्या-49/2023/456/छप्पन-2023-11/2013(Drain)टी.सी.-ए दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम (पूर्व नाम-मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण की आंकलित लागत रू० 5441.06 लाख (रूपए चौवन करोड़ इकतालीस लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इस धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू० 1396.89 लाख (रूपए तेरह करोड़ छियान्नेवे लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि; शासनादेश संख्या-45/2024/546/छप्पन-2024-11/2013(Drain)टी.सी.-ए दिनांक 19 अप्रैल, 2024 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू० 1323.64 करोड़ की धनराशि तथा शासनादेश संख्या 87/2024/1538/छप्पन-2024-11/2013 (Drain) टी.सी.-ए दिनांक 30 सितम्बर, 2024 द्वारा धनराशि रू० 1360.265 लाख (रूपए तेरह करोड़ साठ लाख छब्बीस हजार पाँच सौ मात्र) का धनाबंटन जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखने के आदेश निर्गत किए गए हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम (पूर्व नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति से शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(ईशान प्रताप सिंह)  
विशेष सचिव

संख्या: 1652/छप्पन-2024-11/2013(ड्रेन)

प्रेषक,  
कुमार हर्ष,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
अयोध्या।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 16 अक्टूबर, 2024

विषय: जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम (पूर्व नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 2344/एअरपोर्ट/2023-24 दिनांक 29 अगस्त, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम (पूर्व नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण हेतु तृतीय किशत के रूप में अवशेष धनराशि निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-49/2023/456/छप्पन-2023-11/2013(Drain)टी.सी.-ए दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम (पूर्व नाम-मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण की आंकलित लागत रू0 5441.06 लाख (रूपए चौवन करोड़ इकतालीस लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इस धनराशि के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में रू0 1396.89 लाख (रूपए तेरह करोड़ छियान्ने लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि; शासनादेश संख्या-45/2024/546/छप्पन-2024-11/2013(Drain)टी.सी.-ए दिनांक 19 अप्रैल, 2024 द्वारा द्वितीय किशत के रूप में रू0 1323.64 करोड़ की धनराशि तथा शासनादेश संख्या 87/2024/1538/छप्पन-2024-11/2013(Drain) टी.सी.-ए दिनांक 30 सितम्बर, 2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा धनराशि रू0 1360.265 लाख (रूपए तेरह करोड़ साठ लाख छब्बीस हजार पाँच सौ मात्र) का धनाबंटन जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखने के आदेश निर्गत किए गए हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्य का एक Engineers की Team के साथ बृहद व Detailed Inspection करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

  
(कुमार हर्ष)  
विशेष सचिव